न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 17 / 2018

नसीम खां उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत खेडली मन्ना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी,भरतपुर दिनांक 9–3–2018

निर्णय **दिनांक 27.2.22019**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 9–3–2018 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने कारण बताओ नोटिस का जबाब एवं सम्बन्धित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये है। जिनको तहत न्यायालय ने कन्सीडर नहीं किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि दुकान जीर्ण क्षीर्ण होने से दुकान में मरम्मत कार्य हो रहा था। इस लिये ग्रांमवासीयों की सहमति से उपभोक्ताओं की सामग्री वितरण के लिहाज से पास में ही चौपाल पर वितरण किया जा रहा था। इसमें अपीलान्ट का कोई मेन्सरेया नहीं है। सामग्री वितरण के समय ज्यादा भीड़ होने से

.....2

कभी कभी राशन वितरण के बाद राशनकार्ड में भूलवस इन्द्राज करने से रह जाते हैं। ग्रांमीण क्षेत्र में कभी कभी उपभोक्ता मजदूरी या अपने काम करके घर वापिस जाते हैं और रास्ते राशन वितरण देखते हैं तो राशनकार्ड बाद में लाने की कहते है और सामग्री देने की प्रार्थना पर दुकान पर उन्हें सामग्री कर दिया जाता है। उनका यह भी तर्क है ग्रांमीण क्षेत्र में उपभोक्ता जब सामग्री लेने आते हैं उनके सत्यापन के बाद उन्हें सामग्री दे दी जाती है। उपभोक्ता के पास पैसे कम होने पर उन्हें उसी अनुपात में सामग्री दे दी जाती है शेष सामग्री को उपभोक्ता द्वारा पैसा लाने पर दे दिया जाता है। इस लिये दुकान पर उपभोक्ताओं की सामग्री शेष रह जाती है। इस में अपीलान्ट का कोई गलत मैनसेरिया नहीं है। इस लिऐ एक क्विटल 1 क्वि 88 किलो चीनी दुकान पर वक्त निरीक्षण रखी हुई थी जो बाद में उपभोक्ताओं को आने पर उन्हें वितरण कर दी गई। इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं ने सामग्री प्राप्त करने के, अपने शपथ पत्र भी तहत न्यायालय में पेश किये गये हैं। तहत न्यायालय ने शपथ पत्रों की सत्यता की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक से कराई गई है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने रिपोर्ट में बाद जॉच सभी शपथ पत्रों को सही होना माना है। तहत न्यायालय ने इस पर कोई गोर नहीं किया है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि कथित परिवादी ने इसी बाबत डीलर के खिलाफ एफ.आई.आर. 312/2017 थाना पहाड़ी में दर्ज कराई थी। थाना अधिकारी पहाड़ी ने अपनी विस्त्त जॉच रिपोर्ट में शिकायत को झूठा पाया है, और एफ.आर. न. 117/25.12.2017 लगादी गई है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट पर लगाये आरोपों को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं किया है। प्रार्थी पर कोई गबन या कालाबाजारी जैसा गंभीर आरोप नहीं है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब ही लगू होता है जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। अपीलाधीन आदेश बिना किसी साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–2–2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर ,भरतपुर